## विचार बिन्दु

मानव जीवन धूल की तरह है, रो-धोकर हम इसे कीचड़ बना देते हैं। –बकुल वैद्य

# कैसा मेरा देश है, जिसकी न अपनी भाषा है और न संस्कृति के अनुरूप उसका नाम इण्डिया, न वेबसाइट इण्डिया सरकार भारत ही है।

गांधी का सूत्र वाक्य था, ''कोई भी देश सच्चे अर्थों में तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक वह अपनी भाषा में नहीं बोलता''। यदि भारत को एक राष्ट्र बनाना है तो चाहे कोई माने न माने, राष्ट्रभाषा तो हिन्दी ही बनेगी। संभवत: इसी से प्रेरणा प्राप्त कर संविधान के अनुच्छेद 343 में यह घोषणा की गई कि राजभाषा हिन्दी होगी। रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार के अनुसार किसी भी अन्य देश की विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान नहीं की जावे। अनुच्छेद 343 में राज भाषा शब्दावली का उल्लेख राष्ट्र भाषा के संदर्भ में किया गया है। संविधान में देश को राज्य कहकर पुकारा गया है अत: राष्ट्र भाषा न कहकर हिन्दी को राजभाषा कहा गया है। राष्ट्र शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 51क में किया है जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से लाया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में प्रेसीडेन्ट ऑफ इण्डिया को राष्ट्रपति कहा गया है। अनुच्छेद 51क में राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का उल्लेख है।

आश्चर्य है पशु-पक्षी तो राष्ट्रीय घोषित किये गये हैं, किन्तु अंग्रेजी जो विदेशी भाषा है राष्ट्र भाषा हिन्दी के स्थान पर, सिंहासन पर बैठी है और देश का नाम इण्डिया उसकी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। राष्ट्र भाषा के बिना हमारा देश आज गूंगा है। संविधान के अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि ''संघ की राजभाषा हिन्दी होगी और अनुच्छेद 120 में यह उल्लेख किया है कि अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुये संसद के कार्य हिन्दी या अंग्रेजी में किये जावेंगे तथा जब तक विधि द्वारा अन्यथा प्रबंध न करें जब तक इस संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि 'या अंग्रेजी में' शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया है। चूंकि विधि द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया है अत: 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो 'या अंग्रेजी में' शब्दों का लोप कर दिया गया हो।

अनुच्छेद 210 में यही व्यवस्था राज्य की असेम्बली के संबंध में है।

प्रत्येक देश की अपनी भाषा होती है। भाषाओं पर और राष्ट्र भाषा पर गर्व होना चाहिये किन्तु अंग्रेजी हमारे देश की भाषा या बोली नहीं है, यह तो यू.के. की (अंग्रेजों) की भाषा है। हमारी भाषाये तो वे हैं जिनका उल्लेख संविधान की आठवीं सूची में है। ये 22 हैं, जन्म से बोली जाने वाली हैं। इन्हीं में राज्यों में बोली जाने वाली भाषायें हैं, जिसे राज्य के भाषायी अधिनियम द्वारा प्रत्येक राज्य ने स्वीकार किया है। यह दुर्भाग्य की बात है अंग्रेजी मातृ भाषा नहीं है वह फिर भी राष्ट्र भाषा की गद्दी पर बैठी है। जबकि संविधान के अनुसार 26.1.1965 से हिन्दी राज भाषा हो चुकी है।

देश की शिक्षा नीति है और देश के विद्वानों ने, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए.वी. रमना ने तथा देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक आयोजन में कुछ दिन पूर्व ही कहा था कि हमें अदालतों में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए, इससे सामान्य जन का न्याय की प्रणाली के प्रति विश्वास बढेगा। शिक्षा नीति पर भी यही विचार विद्वानों से अभिव्यक्त किये हैं कि शिक्षा अपनी भाषा ही में दी जानी चाहिए। जबकि सरकार स्वयं इसके विपरीत कार्य कर रही है। देश में अंग्रेजी स्कूलों की बाढ़ आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने को क्रान्तिकारी कदम कहा है। यही राजस्थान के बाबत कहा जा सकता है। लोगों में क्रेज है कि बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में भर्ती कराया जावे। देश को इस पर ध्यान देना होगा। अंग्रेजी पढ़ाओ, किन्तु हिन्दी को महत्वहीन न माने। यह कदम सराहनीय है कि अंग्रेजी में हिन्दी अर्थात् दोनों माध्यम से शिक्षण संस्थानों के संचालन से लोगों को विकल्प चुनने का अवसर मिला है। 5 वर्ष की लॉ की डिग्री प्राप्त करने वाले एडवोकेट हिन्दी में एफआईआर नहीं लिख सकते न हिन्दी में प्लीडिंग्स ही सफलता के साथ लिख सकते हैं। अमेरिका के शासकों का विचार है कि ''यदि हमें भारत से 100 प्रतिशत व्यापार प्राप्त करना है तो हिन्दी सीखनी होगी, क्योंकि गावों में 80 प्रतिशत व्यापार है वहां के लोग अंग्रेजी नहीं जानते''। वहां 100 से अधिक यूनिवर्सिटीज में हिन्दी पढ़ाई जाती है।

**किसी भी लोकतंत्र के लिये यह शर्म की बात है कि उस देश की राष्ट्रभाषा, वहां की मातृ भाषा ही न हो और अन्य देश की भाषा देश की राजभाषा हो। सभी देश अपनी देश की भाषा में बोलते हैं और शासन करते हैं, केवल भारत ही एक मात्र देश है जहां राजभाषा देश की मातृभाषा न होकर, अन्य देश की भाषा है।**

यह भी एक दुर्भाग्य ही है कि संविधान में देश का नाम India, that is Bharat कहा गया है। जबकि India हमारी संस्कृति का शब्द नहीं है। पुराणों उपनिषदों आदि धार्मिक ग्रन्थों के अनुसार देश का नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भारत है। यों भी भारत का अर्थ भा रत अर्थात् धर्म में लीन है। भा का अर्थ है धर्म और रत का अर्थ है लीन होना। इस संबंध में भारत सरकार के पास प्दकपं का का नाम बदलने के हेतु एक पिटीशन प्रस्तुत की गई है। पिटीशन पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की थी; न्यायालय ने यह मामला संसद के अधिकार क्षेत्र का माना है और पिटीशनर ने संविधान संशोधन कर देश का नाम 'भारत' रखने की मांग की है। पिटीशनर ने कहा कि आक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार इण्डिया शब्द का अर्थ वह ट्राइब है जो बिना पढ़ी-लिखी तथा लूटपाट करने वाली है। वस्तुत: संविधान निमात्री सभा ने संविधान में हिन्दी को राजभाषा घोषित किया, किन्तु संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी में लिखी गई और रूपान्तर हिन्दी में हुआ संविधान में India की कोई परिभाषा नहीं दी गई।

इस प्रकार हमारी संस्कृति पर सीधा प्रहार है। हमारी अपनी संस्कृति है, किन्तु अपनी भाषा नहीं है और न इण्डिया नाम ही अपना है। एक लोकतंत्र के लिये यह श्राप से कम नहीं है।

इन परिस्थितियों में दैनिक भास्कर दिनांक 15.05.2022 के अंक 145 के पृष्ठ 1 पर यह समाचार पढ़ा कि ''अब इण्डिया सरकार भारत लिखकर सरकारी वेबसाइट खोल सकेंगे''। हम सबको गर्व की अनुभूति हुई, यह समझ में आया कि सरकार की यह पहल सचमुच हिन्दी के लिये ऐतिहासिक होगी। दैनिक भास्कर के अनुसार इसका अर्थ होगा सरकार के ''तमाम विभागों, मंत्रालय संगठनों की अंग्रेजी वेबसाइट का हिन्दी स्वरूप भारत के अपने हिन्दी डोमेन से चलाने का निर्णय लिया गया है। यानी अब वेबसाइट का नाम अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिन्दी में ही दर्ज होगा और देश की 80 प्रतिशत हिन्दी भाषी आबादी अपनी मातृभाषा में वेबसाइट के यूआरएल दर्ज कर सरकारी महकमों की जानकारी ले सकेगी''।

सरकार की उक्त पहल सराहनीय है और यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है, हिन्दी को इससे ऊर्जा प्राप्त होगी। राष्ट्र भाषा के महत्व को लोग समझेंगे। राजभाषा के संबंध में जो विवाद व गम्भीर चर्चायें संविधान निमात्री समिति में हुई थीं, उस विषय पर गोपाल स्वामी आयंगर के शब्दों में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है:-

''हम सबने जो अन्तिम निर्णय लिया है वह है कि हमने हिन्दी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया। हम जब कोई लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो हमें अंग्रेजी को जिसे हमने अपनाया था, उसे विदाई देनी होगी। हिन्दी को अंग्रेजी के स्थान पर अंगीकार करने का कार्य हमने किया है। हमें कुछ वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग चालू रखना होगा, समय बाद हिन्दी पूर्ण रूप से उसका स्थान ले लेगी।''

संसद की एक कमेटी ने राजभाषा विधेयक अधिनियम, 1963 के तहत् बनाई गई थी, कमेटी ने 114 सिफारिशें राष्ट्रपति को प्रस्तुत की थीं किन्तु पालना मंत्रियों ने ही नहीं की।

किसी भी लोकतंत्र के लिये यह शर्म की बात है कि उस देश की राष्ट्रभाषा, वहां की मातृ भाषा ही न हो और अन्य देश की भाषा देश की राजभाषा हो। सभी देश अपनी देश की भाषा में बोलते हैं और शासन करते हैं, केवल भारत ही एक मात्र देश है जहां राजभाषा देश की मातृभाषा न होकर, अन्य देश की भाषा है। प्रत्येक राज्य में वहां की राजभाषा में जिसे राजभाषा अधिनियम द्वारा घोषित किया है राज्य का कामकाज हो रहा है। राज्य की भाषा से हिन्दी की कोई तकरार नहीं है। संसद से अपेक्षा है कि संसद संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर देश का नाम भारत, अनुच्छेद 343 में संशोधन कर यह लिखा जावे कि राजभाषा (राष्ट्र भाषा) हिन्दी है तथा वेबसाइट का नाम भारत की संस्कृति के अनुरूप हो। भारत का संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रम नं0 15 में 'देशी राज्य' व 'इण्डिया' को उपरोक्त संशोधन के अनुरूप संशोधित कर परिभाषित करें।

'जय भारत', 'जय हिन्दी'।

**–अतिथि सम्पादक,**
**पानाचन्द जैन**
**पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट**

# उदयपुर का राजकीय विश्वविद्यालय, कुलपतियों के लिए श्रापित

**आज़ादी** के समय तक राजस्थान में कोई विश्वविद्यालय नहीं था अपितु कुछ राजकीय महाविद्यालय थे लेकिन उनकी सम्बन्धता आगरा यूनिवर्सिटी से थी और परीक्षाएं भी आगरा विश्वविद्यालय ही करवाता था तथा डिग्री भी आगरा विश्वविद्यालय से प्रदान होती थी। जयपुर में पहला विश्वविद्यालय खुला, उसके विकास की दास्तान भी अजीब है मोहन सिंह जी मेहता ने उसे कैसे सरकार से कम समर्थन मिलने पर भी विश्वविद्यालय का पूरा ढांचा खड़ा कर दिया।

उदयपुर में 1962 में प्रदेश का पहला और देश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हुआ लेकिन कतिपय नेताओं के दबाव स्वरुप उसे बहुसंकायी बनाकर उदयपुर विश्व विद्यालय नाम दिया गया। डॉ. जी.एस. महाजनी कुलपति नियुक्त हुए, उनसे पहले संभवत: डॉ. बी. हूजा कुलपति बने थे।

बीकानेर का पशु चिकित्सा और जोबनेर कैंपस दोनों उदयपुर यूनिवर्सिटी के संघटक कैंपस थे। कुलपति डॉ. महाजनी एक अनुभवी, योग्य विनम्र स्वभाव वाले व्यक्ति थे, वे अपनी निजी कार से ही ऑफिस आते जाते थे और मैंने सुना था कि वे एक रूपया तनखाह लेते थे। मैं उनके संपर्क में अनेक बार आया, सबोर्डिनेट स्टाफ टीचर को वे अपनी कुर्सी से उठकर स्वागत करते। ऐसे कुशल व्यक्ति को भी उदयपुर के लोगों ने आरोपों की झड़ी लगाकर परेशान किया और उनके कार्यकाल में घटित दोषों पर एक यलो बुलेटिन प्रकाशित किया। वे 1971 में यहां से चले गए, महारास्ट्रियन थे। उनके बाद श्री सत्यप्रसन्न सिंह भंडारी कुलपति बने मेरे विचार से वे प्रसाशनिक वर्ग से थे।

कुछ ही समय पश्चात् डॉ. पृथ्वी सिंह लम्बा कुलपति नियुक्त हुए। डॉ. लम्बा अनुशासन और कार्य संपादन में बड़े निपुण थे। डॉ. लाम्बा भी लोगों को नहीं भाये और कुछ लोगों ने उनके विरुद्ध मोर्चा खोल दिया, जिसमे निदेशक अनुसन्धान भी लिप्त हो गए। बाद में डॉ. लम्बा ने उन्हे सेवा से बर्खास्त कर दिया। छात्रों के एक वर्ग ने कुलपति के विरुद्ध आंदोलन किया और एक रात कुछ छात्र नेताओं ने उनके निवास में घुस कर उनसे मारपीट तक कर दी।

सरकार ने कुलपति को जयपुर बुलाया और त्यागपत्र देने की सलाह दी इस पर डॉ. लम्बा ने कहा कि मेरे बाकी बचे समय की सभी देनदारियां मुझे दे दें। सरकार ने उनकी शर्त मान उन्हें बाकी समय का धन दे दिया वे त्यागपत्र देकर चले गए। राज्य सरकार ने उनके विरुद्ध एस. डी. सिंह कमीशन (सेवानिवृत अल्लाहाबाद हाई कोर्ट जज) के अध्यक्षता में जांच आयोग बिठा दिया। वे दो वर्ष तक कुलपति का कार्य करते रहे। जांच आयोग की रिपोर्ट किताब रूप में दो वॉल्यूम में छापी गयी।

तदउपरान्त, उत्तेर प्रदेश के एक उच्च कोटि के वैज्ञानिक व् तत्कालीन मेंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिवे असेंबली डॉ राज नाथ सिंह उदयपुर में कुलपति नियुक्त किये गए उन्होंने इस पद के लिए किसी से निवेदन नहीं किया था अपितु चंद्र शेखर और भैरों सिंह शेखावत को वे एक समारोह में मिले थे, बातचीत में भैरों सिंह शेखावत उनकी शैली व् व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें उदयपुर में कुलपति पद देने की पेशकश की, जिसे उन्होंने उन दोनों से प्रभावित होकर स्वीकार कर लिया और नियुक्ति आदेश मिलने पर उदयपुर आ गए। मैं उस समय जोबनेर में कार्यरत था, उनके आने की सूचना मिलने पर मैं उनसे मिलने जयपुर हवाईअड्डा पहुंच गया। मैं उन्हे पहले से ही जानता था क्योंकि वे अमेरिका की आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी से डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में पी. एच डी धारक थे और प्रदेश सरकार में कई पदों पर सेवा के वाद वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज में वर्षो प्रिंसिपल रहे। उदयपुर में ज्वाइन करने के बाद कुछ राजनितिक लोग

**प्रो. डॉ. वीर बहादुर सिंह**

किसी किताब के विमोचन को लेकर उनके पीछे पड़ गए। वे सुप्रीम कोर्ट चले गए। सरकार ने वहां अपनी हार होते देख डॉ. कुरूप को उन्हें मनाने और त्यागपत्र देने को राजी कर लिया, जिसको उन्होंने बेमन से स्वीकार कर लिया और वे त्यागपत्र देकर चले गए। तत्कालीन सरकार ने अपनी जैसे-तैसे इज्जत बचा ली लेकिन एक उच्च स्तर के डेयरी विज्ञानी और शिक्षाविद से यूनिवर्सिटी को हाथ धोना पड़ा। तत्पश्चात प्रदेश के कृषि विभाग के निदेशक डॉ. रणवीर सिंह को कुलपति का भार सौंप दिया।

डॉ. तलवार के उपरांत प्रसाशनिक अधिकारी श्री पी.एन. भंडारी और फिर नरेंद्र सिंह सीसोदिया को कुलपति बनाया। इन दोनों के कार्य काल में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी।

वर्ष 1985 के दूसरे छ: मास में डॉ. के एन नाग जो उदयपुर में कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता थे कुलपति नियुक्त हुए। डॉ. नाग एक कुशल कार्यशील वयक्ति थे। सरकार ने उन्हे वर्ष 1987 बीकानेर कृषि विश्व विद्यालय की स्थापना कर वहां का कुलपति नियुक्त कर दिया। कार्य करते उन्होंने भी कई बड़े अनुभवी अधिकारिओं से दूरी बना कर कार्य करना शुरू किया, जिसका विरोध बहुत हुआ और प्रदेश के लगभग 13-14 लेजिस्लेटरों ने सरकार को एक विस्तृत मेमोरंडम प्रस्तुत किया, जिसके फल स्वरुप डॉ. नाग को हटना पड़ा और कुलपति का कार्य डॉ. सक्सेना मृदा विज्ञानी को सौंप दिया। इस प्रकार समय से पूर्व डॉ. नाग को सरकार द्वारा घर भेज दिया गया। उदयपुर के परिसर को विकसित करने का श्रेय डॉ. नाग को ही जाता है।

डॉ. नाग उपरांत पूर्णकालिक कुलपति बड़े फैन फेयर के साथ डॉ. हरज्ञान सिंह जो कृषि विश्वविद्यालय में पहले निदेशक अनुसन्धान थे। कुलपति नाग से नाराज होकर जम्मू कश्मीर चले गए थे, को पूर्ण कालिक कुलपति नियुक्त कर दिया। डॉ. सिंह एक कर्मठ, ईमानदार और एग्रोनोमी के विशेषज्ञ थे परन्तु अपनी हठधर्मिता के कारण उन्हें भी आरोप लगा कर पदमुक्त कर दिया सर्वोच्च न्यायालय जाते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई उनके विरुद्ध भी मंगल बिहारी जाँच आयोग ने जांच रिपोर्ट में उनके विरुद्ध सभी आरोप बेबुनियाद और गलत पाए। उनके बाद बीकानेर में दो प्रसाशनिक अधिकारी हल्दीया और राकेश हूजा कुलपति पद का कार्य करते रहे। जब तक कि डॉ. पटेल (करनाल से) से कुलपति नियुक्त होकर नहीं आ गए लगभग 3 वर्ष से अधिक समय तक डॉ. पटेल कुलपति रहे उनके बाद नियुक्त हुए डॉ. खगेश्वर प्रधान जो एक विख्यात पशु पोषण विज्ञ थे डॉ. प्रधान के विरुद्ध भी विश्वविद्यालय के ही अफसरों ने वित्तीय घोटालों की रिपोर्ट सरकार को कर दी फलस्वरूप एक साफ़ छबि वाला निष्ठावान व्यक्ति भी विश्व विद्यालय अफसरों की व्यूह रचना का शिकार होकर पद छोड़ गया, वे भुवनेश्वर के रहने वाले थे।

तत्पश्चात वर्ष 1999 नवंबर में महाराणा प्रताप कृषि विश्व विद्यालय की स्थापना हो गयी, यहाँ भी एक-दो कुलपतिओं को छोड़कर सभी भ्रष्ट कृत्यों के लिए आरोपित हुये जिनके राजनैतिक सम्बन्ध सुद्रढ थे वे बच निकले। अभी वर्तमान कुलपति डॉ. नरेन्द्रसिंह राठौर का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है लेकिन विरोध चालू हो चूका है। विरोध की सीमा ऐसी कि प्रबंध मंडल के सरकार द्वारा नामित सदस्य को कुछ मुद्दों को लेकर भूख हड़ताल जैसे क़दमों को उठाना पड़ा। क्या सरकार में कोई अफसर उनसे बात कर स्थिति को संभालने में मदद नहीं कर सकता था? मेरी समझ से मुद्दे भी ऐसे नहीं हैं जिन पर कुलपति अथवा सरकार आश्वासन नहीं दे सकती? संभवत: विरोध अभी चालू है, परणीति क्या होती है समय बताएगा? लेकिन सम्पूर्ण दोष राज्य सरकार का है जिसके तीन पदेन सदस्य सेक्रेट्री स्तर के हैं। वे कभी भी प्रबंध मंडल की मीटिंग में नहीं आते फिर उन्हे प्रबंध मंडल में पदेन सदस्य रखने का क्या तात्पर्य? मैं स्वय प्रबंध मंडल का सदस्य रहा हूं और मेरा यह निश्चित मत है कि सदस्यों से रिपोर्ट मिलने पर भी सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती चाहे स्थित कितनी ही विकराल हो। ऐसे विश्व विद्यालय कुलपति कैसे चलाएंगे?

उदयपुर के ही सुखाड़ीया विश्वविद्यालय के कुलपति भी आरोपों के घेरे में आ चुके हैं। केरल राज्य के राज्यपाल श्री आरिफ मोहमद खान को भी आश्चर्य व्यक्त करना पड़ा कि कुलपति की नियुक्ति में करोड़ों रुपयों की रिश्वत ली जाती है? क्या सच और क्या गलत? विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा बर्बादी के कगार पर पहुंच चुकी है। उस पर राजस्थान सरकार कुलपति नियुक्ति मामले में राज्यपाल की भूमिका को संभवत: नगण्य करना चाहती है? फिर सरकारी स्तर पर वरिष्टता की भूमिका कौन निभाएगा? अभी ये साफ़ नहीं है कि राज्यपाल कुलधपति भी रहेंगे अथवा नहीं? मुद्दा गंभीर व् विचारणीय है।

**- प्रो. डॉ. वीर बहादुर सिंह,**
**पूर्व कुलपति प्रताप कृषि एवं**
**प्रौद्योगिकी विवि , उदयपुर**

# बाल श्रम उन्मूलन के लिये डरबन में आयोजित सम्मेलन में थानागाजी की तारा बंजारा ने शिरकत की

## सम्मेलन में वैश्विक समुदाय को दिलाया बाल श्रम एवं बाल शोषण के खात्मे का संकल्प

**थानागाजी,** (निसं)। दुनिया से बाल श्रम उन्मूलन के लिए डरबन दक्षिण अफ्रीका में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) द्वारा 5वें सम्मेलन का आगाज किया गया। जिसमें राजस्थान अलवर जिले के थानागाजी उपखंड क्षेत्र के छोटी सी बंजारा बस्ती निमड़ी से पूर्व में बाल मजदूर रह चुकी नोडमिक बंजारा समुदाय की लाडो तारा बंजारा ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के साथ कार्यक्रम में भाग लिया।

इस अवसर पर तारा बंजारा ने अपने जैसे बच्चों की बाल श्रम, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बाल यौन शौषण से सुरक्षा की मांग करते हुए कार्यक्रम में वैश्विक समुदाय के प्रतिभागियों को संकल्प दिलाया कि कोई भी बच्चा बाल श्रम, चाइल्ड ट्रैफिकिंग व बाल शौषण का शिकार ना हो।

**बंजारा समुदाय की लाडो तारा बंजारा ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के साथ कार्यक्रम में भाग लिया।**

इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए तारा बंजारा ने कहा कि आज हम हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि दुनियाभर की सरकारें बच्चों को अपने वोट का हिस्सा नहीं मानकर बच्चों को सुरक्षा मुहैया कराने का कोई प्रयास नहीं करती है।

- **राजस्थान से पूर्व बाल मजदूर अमरलाल, राजेश जाटव एवं तारा बंजारा ने कार्यक्रम में भाग लिया**

तारा ने अपनी बस्ती सहित आस-पास से 22 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाकर स्कूल में दाखिला करवाया तथा तारा लगातार बाल आश्रम संस्थापिका सुमेधा कैलाश के मार्गदर्शन में बाल विवाह एवं अशिक्षा के कलंक को मिटाने के लिए संघर्ष कर रही है।

तारा अपनी समुदाय एवं बालिकाओं के लिए अपने आप एक मिसाल बन गई है। तारा बंजारा बस्ती की पहली युवा लड़की है जो स्कूली शिक्षा पूरी कर कॉलेज में दाखिला लेकर अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने में जुटी हुई है तथा तारा पुलिस सेवा में जाने का सपना पूरा करने के लिए मेहनत कर रही है।

डरबन दक्षिणी अफ्रीका में आयोजित बाल श्रम उन्मूलन सम्मेलन में राजस्थान से पूर्व बाल मजदूर अमरलाल, राजेश जाटव एवं तारा बंजारा ने कार्यक्रम में भाग लिया।

# पेयजल समस्या से त्रस्त वार्ड संख्या 10 के लोगों ने मटके फोड़ जताया आक्रोश

**अजमेर**, (कासं)। नगर निगम के वार्ड संख्या 10 रावत नगर भाटी की डांग में पेयजल समस्या से त्रस्त वार्डवासी महिलाओं ने गुरुवार को भीषण गर्मी के बीच मटका फोड़ कर जल दाय विभाग के अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश जाते हुए प्रदर्शन किया और समस्या के जल्द समाधान की मांग की। समस्या का समधान नहीं होने पर जल दाय विभाग और जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी।

नगर निगम के वार्ड संख्या 10 स्थित रावत नगर भाटी के डांग वार्डवासी महिलाओं ने गुरुवार को क्षेत्र में पर्याप्त और नियमित पेयजल सप्लाई नहीं होने से आक्रोशित होकर जल दाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मटके फोडक़र अपने आक्रोश का इजहार किया। क्षेत्र की महिला और पुरुषों ने बताया कि वार्ड नंबर 10 के रावत नगर भाटी की डांग में रहने वाले लोग बरसों से पेयजल समस्या से त्रस्त है, लेकिन क्षेत्र में मात्र 15 मिनट के लिए पेयजल सप्लाई ही होती है, वह भी कम प्रेशर के साथ, इसके बावजूद यहां हेडपंप लगे हुए हैं, लेकिन वह काम नहीं करते। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है। इससे पहले भी कई बार अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। लेकिन उनकी समस्या का आज तक हल नहीं हुआ। जबकि इन दिनों अजमेर में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसके कारण पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पानी सहित अन्य समस्याओं को लेकर न तो विधायक और न ही पार्षद कोई ध्यान दे रहा। कई बार जलदाय अधिकारियों को भी समस्या से अवगत करवाया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। लोगों ने चेतावनी दी कि आज तो मटकी फोड़ कर विरोध प्रदर्शित किया गया है।

**आक्रोशित वार्डवासियों ने जलदाय विभाग के कार्मिकों के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया।**

## राशिफल

**पंडित अनिल शर्मा**

**शुक्रवार 20 मई, 2022**

ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2079, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 1:18 तक, शुभ योग दिन 11:24 तक, कौलव करण प्रात: 6:57 तक, चन्द्रमा प्रात: 8:45 से मकर राशि में प्रवेश करेगा।

**ग्रह स्थिति:** सूर्य-वृष, चन्द्रमा-धनु, मंगल-मीन, बुध-वृष, गुरू-मीन, शुक्र-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

कुमार योग रात्रि 1:18 से सूर्योदय तक और सर्वार्थ सिद्धि योग और रवियोग रात्रि 1:18 से आरम्भ होगा। आज विवाह मुर्हूत उत्तराषाढा में है।

**श्रेष्ठ चौघड़िया:** चर सूर्योदय से 7:21 तक, लाभ-अमृत 7:21 से 10:43 तक, शुभ 12:23 से 2:04 तक, चर 5:25 से सूर्यास्त तक।

**राहूकाल:** 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:41, सूर्यास्त 7:06

### मेष
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। धार्मिक-सामाजिक कार्यों में धन खर्च हो सकता है।

### वृष
परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। पारिवारिक कार्यों व्यस्तता बनी रहेगी। अतिथियों का आगमन रहेगा। व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

### मिथुन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बनते कार्य बिगड़ने का भय बना रहेगा। आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

### कर्क
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

### सिंह
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

### कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

### तुला
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।

### वृश्चिक
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

### धनु
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

### मकर
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। मानसिक तनाव दूर होगा। मन:स्थिति में सुधार होगा।

### कुंभ
घर-परिवार के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। वाणी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

### मीन
व्यावसायिक/आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल हेगी।